संख्या-436/2021/I/96730/2021/23-11099/2852/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2021

विषय:- जनपद मथुरा में कोसी-नन्दगांव-बरसाना-गोवर्धन-सौंख-मथुरा राया (यमुना एक्सप्रेस-वे मार्ग तक) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 86.913 कि0मी0) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-775/पी0जे011/15पी0जे0(1)/20, दिनांक 02-12-2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा में कोसी-नन्दगांव-बरसाना-गोवर्धन-सौंख-मथुरा राया (यमुना एक्सप्रेस-वे मार्ग तक) मार्ग (लम्बाई 86.913 कि0मी0) में 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-360/2016/105(1)/23-11-2016-1/2(112)/2016, दिनांक 19-12-2016 द्वारा लागत रू0 50571.77 लाख की प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत मार्ग को 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कराये जाने के लिए ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र के प्राविधानों के दृष्टिगत वन विभाग से 12982 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं राजस्व विभाग से वन विभाग को 125 हे0 भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण मार्ग को 04 लेन के स्थान पर 02 लेन विद पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कराये जाने हेतु कार्य की आंकलित लागत रू0 29488.89 लाख (रू0 दो अरब चौरानबे करोड़ अट्ठासी लाख नवासी हजार मात्र) पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	जनपद मथुरा में कोसी-नन्दगांव-बरसाना-गोवर्धन-सौंख-मथुरा राया (यमुना एक्सप्रेस-वे मार्ग तक) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 86.913 कि0मी0)।	50571.77	29488.89

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) सेन्टेज चार्ज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) प्रायोजना की लागत आंकलन में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(9) प्रायोजनान्तर्गत संरक्षित वन भूमि से सम्बन्धित कार्य प्रस्तावित किया गया है। विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(11) जनपद मथुरा ताज ट्रेपेजियम जोन में होने के कारण मार्ग के संरेखण में आने वाले वृक्षों के पातन पर वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने के साथ-साथ ही मा0 उच्च/मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अन्य सम्बन्धित संस्थाओ से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(12) पुनरीक्षित प्रायोजना में पूर्ण कार्यो तथा अवशेष कार्यो की लागत पर मूल्यवृद्धि सम्मिलित है। अत: भविष्य में प्रायोजना का पुन: पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(13) प्रायोजनान्र्गत 37.429 हे0 भूमि अध्याप्ति हेतु रू0 7111.70 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसे यथावत अनुमन्य कर दिया गया है। इन कार्यमदों हेतु न्यूनतम् आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर विभाग द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग मद में विद्युत पोल/विद्युत लाइन शिफ्टिंग हेतु विद्युत विभाग को रू0 1391.13 लाख एवं रोपाई हेतु वन विभाग को रू0 905.16 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। विभाग द्वारा उक्त कार्यमदों का विस्तृत आगणन गठित कराकर तथा सम्बन्धित विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मिट्टी की मात्रा के दृष्टिगत विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना हेतु मिट्टी जिन किसानों के खेतों से प्राप्त की जानी है, उन किसानों के नाम, ग्राम व उनके खेतों के खसरे का नम्बर, किस किसान के खेत के किस खसरा नम्बर से कितनी मिट्टी प्राप्त की जानी है, उसका किसानवार, खसरावार मिट्टी की मात्रा, मिट्टी ढुलाई की दूरी बारो एरिया के चार्ट का विवरण तथा किसानवार भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धी सूचनाओं का विवरण पारदर्शी तरीके से मेन्टेन किया जाय तथा इसकी

http://shasanadesh.up.nic.in

किसी सक्षम स्तर के अधिकारी के समय-समय पर रेन्डम चेकिंग करायी जाय ताकि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता और द्विरावृत्ति न हो।

(16) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को प्रभाग द्वारा प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(18) प्रश्नगत क्षेत्र में अवस्थित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(19) यदि यह भूमि वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित पायी जाती है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(20) इसके अतिरिक्त यदि प्रश्नगत क्षेत्र वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10 कि0मी0 एवं ईको सेन्सटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है, तब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली से भी अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(21) गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृ (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) प्रश्नगत क्षेत्र की स्थापना के पूर्व सम्बन्धित संस्था के द्वारा पर्यावरण (प्रोटेक्शन) एक्ट 1986 के प्राविधानों के अनुरूप यथावश्यकता पर्यावरणीय क्लीयरेंस लिया जाना होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(23) प्रश्नगत क्षेत्र के स्थापना के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(24) प्रश्नगत क्षेत्र के संचालन के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार संचालनार्थ सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(25) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन का ऑनलाइन अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से किए जाने के दृष्टिगत उक्त दोनों इकाईयों में उचित स्थलों पर पी0टी0जेड0 रोटेटिंग कैमरा ओपेन एक्सेस व्यवस्था के अनुसार स्थापित कराया जाए।

(26) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले अपशिष्टों का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत अपशिष्ट प्रबन्ध नियमों के प्राविधानों के अनुसार पृथक्कीकरण, एकत्रण एवं प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

(27) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित पर्यावरण प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

(28) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय-समय पर जो अन्य शर्ते/प्राविधान निर्धारित किया गया हो, उनका भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(29) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1323-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-13-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु-24 वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

(30) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश सं0-177/2018/115(1)/23-11-2018-1/2(121)/2018, दिनांक 18-09-2018 की शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-1120760/दस-2021, दिनांक 04 अगस्त, 2021 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक यथोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in